रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-55/2024/1930/22-2-2023-17(772)/2023
लखनऊ:दिनांक: 07 जून, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरिओम (बन्दी संख्या-330/19) पुत्र श्री सुखदीन, निवासी पाकरगांव, थाना-मोहनगंज, जनपद-रायबरेली, वर्तमान जनपद अमेठी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-29/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रायबरेली के आदेश दिनांक 25.09.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24-01-2014 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 20.11.2022 तक 76 वर्ष से अधिक की आयु 09 वर्ष, 11 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा व 12 वर्ष, 07 माह की सपरिहार सजा भोगने तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2024/1930(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली/अमेठी।
3- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली/अमेठी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-5722/2023 हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अवमानना एप्लीकेशन (सिविल) संख्या-3902/2023 हरि ओम बनाम श्री राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पारित आदेश दिनांक 12-01-2024 के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।